Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में जयपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *02 नवम्बर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विक्रम मीणा, कनिष्ठ अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. केलवाड़ा जिला बूंदी को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विक्रम मीणा कनिष्ठ अभियंता केलवाड़ा द्वारा मेरे खेत पर लगे ट्रांसफार्मर को खोलकर ले जाने तथा ट्रांसफार्मर को वापस लोटाने की एवज में **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी की बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम **श्री ताराचन्द पुलिस निरीक्षक** के ट्रेप कार्यवाही करते हुये विक्रम मीणा, कनिष्ठ अभियंता जे.वी.वी.एन.एल. केलवाड़ा जिला बूंदी को परिवादी से **15 रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि दौराने सत्यापन के परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।